

कार्यालय  
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182ई-मेल [almoraforestdivision@rediffmail.com](mailto:almoraforestdivision@rediffmail.com)  
पत्रांक 1470/12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 18-9-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय — जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मटीला-शीतलाखेत मोटर मार्ग के ग्राम डाठ से अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.948 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/ 149730/2021)

सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2745 / FP/UK/ROAD/149730/2021 दिनांक 31.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि नोडल कार्यालय द्वारा प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्ति के निराकरण के क्रम में प्रस्तावित मोटर मार्ग में जल स्रोत प्रभावित होने के सम्बन्ध में अनापत्ति चाही गयी थी, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार 4-4 प्रतियों में।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

प्रस्ताव का नाम - जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मटीला-शीतलाखेत मोटर मार्ग के ग्राम डाठ से अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.948 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/ 149730/2021)

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण कर यह पाया गया है कि मोटर मार्ग निर्माण होने से कोई भी प्राकृतिक जल स्रोत प्रभावित नहीं हुये हैं। संयुक्त निरीक्षण की स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट संलग्न है।

①


✍


प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।


संयुक्त निरीक्षण आख्या


आज दि० 18/08/2023 को जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत मदीला-शीतलाखेत मोटर मार्ग के उप डाठ से अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाले जल स्रोतों के संबंध में संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में वन विभाग की ओर से श्री कुबेर चंद्र आर्या, श्रीमती हार्षिता पाण्डे एवं श्री रणजीत सिंह नेगी वन रखक एवं प्रतापवन विभाग की ओर से श्री उदीप जोशी अपर सहायक अभियंता एवं श्री विशोर चंद्र कृष्णा उपस्थित रहे।


प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में कोई भी जल स्रोत प्रभावित नहीं होगा।

  
 (उदीप जोशी)  
 अपर सहायक अभियंता  
 प्र.ख., लो. नि. वि.  
 अल्मोड़ा

  
 (विशोर चंद्र कृष्णा)  
 अभियंता

  
 (कुबेर चंद्र आर्या)  
 वन वीट अधिकारी

  
 (हार्षिता पाण्डे)  
 वन वीट अधिकारी

  
 (रणजीत सिंह नेगी)  
 वन वीट अधिकारी